रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-72 REGISTERED No. D. (DL)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 536] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 18, 1986/कार्तिक 27, 1908
No. 536] NEW DELHI, TUESDAY, NOV. 18, 1986/KARTIKA 27, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1986

सा. का. नि. 1211(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 371-घ के खण्ड (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आन्ध्र प्रदेश लोक नियोजन (स्थानीय काडरों का गठन और सीधी भर्ती का विनियमन) आदेश, 1975 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम आन्ध्र प्रदेश लोक नियोजन (स्थानीय काडरों का गठन और सीधी भर्ती का विनियमन) संशोधन आदेश, 1986 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आन्ध्र प्रदेश लोक नियोजन (स्थानीय काडरों का गठन और सीधी भर्ती का विनियमन) आदेश, 1975 की तीसरी अनुसूची में, क्रम सं 36 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर "सहायक निदेशक, उद्योग" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

[एस. 21012/4/86-एस. आर.]

राष्ट्रपति के आदेश द्वारा तथा उनके नाम से,

सुजाता चौहान, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश सा. का. नि. 524(अ), तारीख 18 अक्तूबर, 1975 के राजपत्र तारीख 18-10-1975 में प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् सा. का. नि. 850(अ) तारीख 18-10-1976, सा. का. नि. 78(अ) तारीख 22-2-1977, सा. का नि. 186 (अ) तारीख 16-4-1977, सा. का. नि. 392(अ) तारीख 22-6-1977, सा. का. नि. 648(अ) तारीख 17-10-1977, सा. का. नि. 5(अ) तारीख 1-1-1981 और सा. का. नि. 525(अ) तारीख 28-6-1985 द्वारा संशोधित किया गया ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 18th November, 1986

G.S.R. 1211(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (1) and (2) of Article 371D of the Constitution, the President hereby makes the following Order further to amend the Andhra Pradesh Public Employment (Organisation of Local Cadres and Regulation of Direct Recruitment) Order, 1975, namely :—

1. (1) This Order may be called the Andhra Pradesh Public Employment (Organisation of Local Cadres and Regulation of Direct Recruitment) Amendment Order, 1986.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Third Schedule to the Andhra Pradesh Public Employment (Organisation of Local Cadres and Regulation of Direct Recruitment) Order, 1975, for the entry against serial number 36, in column (2), the entry "Assistant Directors of Industries" shall be substituted

[S-21012/4/86-SR]

By Order and in the Name of the President
S. Chauhan, Jt. Secy.

NOTE :

The Principal Order, GSR 524(E), dated the 18th October, 1975, was published in the Gazette on 18-10-1975 and subsequently amended vide GSR 850(E) dated 18-10-1976, GSR 78(E), dated 22-2-1977, GSR 186(E), dated 16-4.1977, GSR 392(E) dated 22-6-1977, GSR 648(E) dated 17-10-1977, GSR 5(E) dated 1-1-1981 and GSR 525(E) dated 28-6-1985.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986